न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी :— शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

दावा संख्या 73/2017

उनवान
गिरधारीलाल वगै0 बनाम राजस्थान सरकार

1. गिरधारीलाल पुत्र स्व. नब्बुराम जाति कुमावत निवासी वार्ड नम्बर 2 बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू।
2. लालचन्द पुत्र नब्बुराम जाति कुमावत निवासी वार्ड नम्बर 2 बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू।
3. गुलाब देवी पत्नी नब्बुराम जाति कुमावत निवासी वार्ड नम्बर 2 बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू।
4. विमला पुत्री नब्बुराम जाति कुमावत निवासी वार्ड नम्बर 2 बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू।
5. सरोज पुत्री नब्बुराम जाति कुमावत निवासी वार्ड नम्बर 2 बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू।
6.

—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार झुन्झुनू।

—प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता:—

1. श्री ओमप्रकाश सैनी :— वादीगण की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी :— राज्य सरकार की ओर से।

दावा बाबत:—घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक :— 04.08.2021**

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 748 रकबा 0.0500 है. बजंड़ 1 व खसरा नम्बर 749 रकबा 0.0500 है0 बजंड़ 1 व खसरा नम्बर 750 रकबा 0.0600 है0 बंजड़ 1 कुल किता 3 कुल रकबा 0.1600 है0 व हाल खसरा नम्बर 763 रकबा 0.1800 है. बारानी 2 व खससरा नम्बर 764 रकबा 2.2600 है. बारानी 2 कुल किता 2 कुल रकबा 2.4400 है. है उक्त भूमि वादीगण 1 लागयत 5 की संयुक्त खातेदारी भूमि है। वादीगण 1 लगायत 5 के पिता का सही नाम नब्बुराम जाति कुमावत है वादी नम्बर 2 का सही नाम लालचन्द पुत्र नब्बुराम है लेकिन वाद पत्र के पैरा नम्बर 2 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 748, 749, 750 का राजस्व रिकार्ड कायम करते समय वादी नम्बर 2 का नाम महेन्द्र पुत्र नब्बुराम कर दिया जो वर्तमान में चला आ रहा है। वादी नम्बर 2 का सही नाम लालचन्द पुत्र नब्बुराम है। वादी संख्या 2 के अन्य दस्तावेजात में भी सही नाम लालचन्द पुत्र नब्बुराम है। वाद पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 763, 764 में वादीगण 1 लगायत 5 के पिता का नाम मगाराम कर दिया जो वर्तमान तक चला आ रहा है जबकि वादीगण 1 लगायत 5 के पिता का सही नाम नब्बुराम है। वादीगण द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बगड़ तहसील झुन्झुनू के खसरा नम्बर 748, 749 व 750 के राजस्व रिकार्ड में वादी नम्बर 2 का नाम महेन्द्र पुत्र नब्बुराम की जगह लालचन्द पुत्र नब्बुराम व खसरा नम्बर 763 रकबा 0.1800 है0 व खसरा नम्बर 764 रकबा 2.2600 है0 के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम मगाराम की जगह नब्बुराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिया जावे।

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस वास्ते जबावदेही तलब किया गया। राज्य सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक द्वारा आदेशिका पर अंकित किया गया कि वादी द्वारा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा साबित करने पर व राजस्व हानि ना हो तो कोई एतराज नहीं होना दर्ज किया है। उक्त बाबत तहसीलदार झुन्झुनू से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपने पत्रांक राजस्व/2021/854 दिनांक 18.03.2021 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसे शामिल मिशल किया गया। वादी संख्या 03 की मृत्यु होने के पश्चात वादीया संख्या 3 के नाम के आगे लाल स्याही से मृतक दर्ज किया जाकर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य/शपथ पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा प्रेषित मौका जांच रिपोर्ट एवं बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। उक्त तथ्यों से जाहिर है कि ग्राम बगड़ तहसील झुन्झुनू के खसरा नम्बर 748, 749 व 750 के राजस्व रिकार्ड में वादी नम्बर 2 का नाम महेन्द्र पुत्र नब्बुराम की जगह लालचन्द पुत्र नब्बुराम व खसरा नम्बर 763 रकबा 0.1800 है0 व खसरा नम्बर 764 रकबा 2.2600 है0 के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम मगाराम की जगह नब्बुराम दुरूस्त किया जाना उचित एंव न्यायोचित है। अतः

आदेश

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम बगड़ तहसील झुन्झुनू के खसरा नम्बर 748, 749 व 750 के राजस्व रिकार्ड में वादी नम्बर 2 का नाम महेन्द्र पुत्र नब्बुराम की जगह लालचन्द पुत्र नब्बुराम व खसरा नम्बर 763 रकबा 0.1800 है0 व खसरा नम्बर 764 रकबा 2.2600 है0 के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम मगाराम की जगह नब्बुराम दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें तदअनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 04.08.2021 को टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)